न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 44/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/104**
दायर दिनांक :– 10.03.2025 **निर्णय दिनांक :– 06.10.2025**

1. देव किशन पुत्र छोटमल जाति सेवग निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री मूलचंद सुथार अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आश्य से पेश किया कि वादी की खातेदारी अधिकरों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1935/1 रकबा 8.2070 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा बडीढाणी पटवार क्षेत्र घटोर तहसील बाप में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2078–2081 संलग्न वाद पेश है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम देव किशन पुत्र छोटमल है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा वादी का नाम अपनी मनमर्जी से लीलाधर पुत्र छोटमल दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम देव किशन पुत्र छोटमल शर्मा है तथा इसी नाम से ही वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, शपथ–पत्र आदि बने हुवे है तथा वादी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी का नाम लीलाधर पुत्र छोटमल दर्ज होने से वादी को के.सी.सी ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि संबंधित कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना पड़ रहा है। वादी ने दिनांक 02.02.2022 को अपना नाम सही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी ने वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिये वादी ग्राम बडीढाणी पटवार क्षेत्र घटोर के उपरोक्त वर्णित खसरान् में दर्ज अपने गलत नाम लीलाधर पुत्र छोटमल के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम देव किशन पुत्र छोटमल शर्मा के नाम खातेदारी काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम बडीढाणी पटवार हल्का घटोर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1935/1 रकबा 8.2070 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम

06/10/25

लीलाधर पुत्र छोटमल दर्ज है जबकि वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज में देव किशन पुत्र छोटमल शर्मा है। वादी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर वादी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। वादी ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया तथा वादी के बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2078–2081 ग्राम बडीढाणी पटवार हल्का घटोर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1935/1 रकबा 8.2070 हैक्टेयर स्थित है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में लीलाधर पुत्र छोटमल दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, शपथ–पत्र, नगर पालिका बाप द्वारा जारी प्रमाण–पत्र इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम देव किशन पुत्र छोटमल शर्मा है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बडीढाणी पटवार हल्का घटोर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1935/1 रकबा 8.2070 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम लीलाधर पुत्र छोटमल के स्थान पर देव किशन पुत्र छोटमल शर्मा के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिकी पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/10/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. देव किशन पुत्र छोटमल शर्मा जाति सेवग निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 44 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर मूलचंद सुथार मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम बडीढाणी पटवार हल्का घटोर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1935 / 1 रकबा 8.2070 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम लीलाधर पुत्र छोटमल के स्थान पर देव किशन पुत्र छोटमल शर्मा के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक	बाबत् फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.10.2025 को जारी की गई।

06/10/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।